

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 4(12)ग्रावि/नरेगा/शिका./2010/पार्ट-ग

जयपुर, दिनांक 19 JAN 2016

✓ अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
जिला परिषद समस्त राजस्थान ।

विषय :— महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय अनियमितता, गबन आदि के कारण अनुबन्ध सेवा से पृथक करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत विभिन्न पदों पर कार्यरत संविदा कार्मिक जिनको जांच में दोषी पाये जाने, गबन एवं वित्तीय अनियमितता किये जाने पर संविदा सेवा से पृथक किया गया है, उन्हें किसी अन्य जिले में उरी पद पर अथवा अन्य किसी संविदा के पद पर नये अनुबन्ध पर नहीं लगाये जावे।

जिले द्वारा ऐसे कार्मिक जिन्हें वित्तीय अनियमितता, गबन आदि के कारण अनुबन्ध सेवा से पृथक किया है एवं भविष्य में इन कारणों से सेवा से पृथक करें, उसकी सूचना समस्त जिलों को उपलब्ध कराई जावे, जिससे कि उन्हें नये अनुबन्ध पर नहीं रखा जावे। इस संबंध में सूचना इस विभाग को भी भिजवाने का श्रम करें, जिससे कि ऐसे कार्मिक के संबंध में सूचना महात्मा गांधी नरेगा वेब साईट पर भी डाली जा सके। वर्तमान में वित्त विभाग द्वारा संविदा के रिक्त पदों पर भर्ती पर भी प्रतिबन्ध है।

भवदीय,

३३

(त्रिभुवनपति)

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम) ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, समस्त राजस्थान।
2. रक्षित पत्रावली।

परियोजना अधिकारी, ईजीएस